संख्या-1/2025/1/1132083/24-पी-3-2025

प्रेषक,

एस०पी० गोयल,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

ऊर्जा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 7/11/2025

विषय- सरकारी संयोजनों के विद्युत बिलों का समय से भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत करना है कि शासनादेश संख्या 1/2022/ई-10-162757/दस-2022-10-10099/22/2022, दिनांक 05 मई, 2022 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार सरकारी विभागों द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान अग्रिम में केन्द्रीयकृत रूप से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को किया जाता है। इसके होते हुए भी कतिपय संस्थानों, जैसे उ०प्र० पंचायती राज विभाग के अधीन ग्रामीण स्थानीय निकायों, जल संस्थानों, जल निगम (नगरीय एवं ग्रामीण) इत्यादि द्वारा अभी भी स्थानीय स्तर पर विद्युत विलों का भुगतान किया जाता है; उल्लेखनीय है कि समस्त संस्थाएं राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग के अधीन कार्य करती हैं। विद्युत बिलों का भुगतान समय से न करने पर विद्युत विलों में मूल धनराशि के अतिरिक्त अधिभार (Late Payment Surcharge-LPSC) सृजित होता है, जो निम्नलिखित प्राविधानों के अन्तर्गत लगाया जाता है:-

(1) Electricity Supply Code-2005 Section 6.13 :-

"Rebate and Late Payment Surcharge for delayed payment shall be levied as per the tariff order applicable"

(2) As per UPERC Tariff Order (FY 2024-25) Dated: 10-10-2024 Annexure 13 (Rate Schedule) Point 7(i)-Surcharge/Penalty:-

"If a consumer, having postpaid connections, fails to pay his electricity bill by the due date specified therein, a late payment surcharge shall be levied at 1.25% on the dues (excluding late payment surcharge) per month, up-to first three months of delay and subsequently at 2.00% on the dues (excluding late payment surcharge) per month of delay. Late payment surcharge shall be calculated proportionately for the number of days for which the payment is delayed beyond the due date specified in the bill and levied on the unpaid amount of the bill excluding delayed payment surcharge; imposition of this surcharge is without prejudice to the right of the Licensee to disconnect the supply or take any other measures permissible under the law."

उक्त से स्पष्ट है कि विलम्ब से विद्युत बिलों का भुगतान करने की स्थिति में मूल धनराशि के अतिरिक्त अधिभार (LPSC) देय होगा, परन्तु विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा समय से भुगतान न करने की स्थिति में अधिभार (LPSC) के सम्बन्ध में छूट प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जाता है।

2- इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड-2005 में दिए गए प्राविधानों से स्पष्ट है कि समय से भुगतान न करने वाले समस्त उपभोक्ताओं पर विलम्बित भुगतान अधिभार (LPSC) आरोपित किया जाएगा।

3- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश में विद्युत आपूर्ति हेतु ऊर्जा क्रय की जाती है, जिसका ससमय भुगतान किया जाना एक विधिक बाध्यता है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-अ 03062022-236266 दिनाक 03 जून, 2022 द्वारा विद्युत (विलम्ब भुगतान अधिभार और सम्बन्धित मामले) नियम, 2022 प्रवृत्त किए गए हैं, जिनके अधीन generators को विलम्ब से भुगतान करने पर अधिभार (LPSC) का भुगतान करना होता है।

4- उपभोक्ता से ससमय विद्युत बिल के सापेक्ष धनराशि न प्राप्त होने व उत्पादकों को ससमय भुगतान करने की बाध्यता के कारण उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को या तो राज्य सरकार से धनराशि की मांग करनी पड़ती है, अथवा राज्य सरकार से प्राप्त गारण्टी के आधार पर लगभग 10 प्रतिशत से अधिक व्याज की दर पर Working Capital Loan लेकर Generators को भुगतान किया जाता है।

5- स्पष्ट है कि विलम्व से किए गए भुगतान का भार प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से राज्य सरकार पर आता है। अतः समस्त राजकीय/अर्धराजकीय संस्थाओं द्वारा ससमय भुगतान किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है एवं विलम्ब से भुगतान किया जाता है तो प्राविधान के अनुसार LPSC के साथ भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी विभागों/संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि विद्युत विलों के भुगतान के मद में वार्षिक बजट में पर्याप्त धनराशि का प्राविधान किया जाए ताकि विद्युत बिलों का ससमय शत्-प्रतिशत भुगतान किया जा सके एवं विद्युत बिलों में लगने वाले अधिभार (LPSC) से बचा जा सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि कोई सरकारी विभाग/संस्था विलम्ब से भुगतान करती हो, तो अधिभार (LPSC) की देयता भी विद्युत बिल का अभिन्न अंग होगी, जिसका भुगतान करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

एस0पी0 गोयल
मुख्य सचिव।

संख्या (1)/24-पी-3-2025 तददिनांक ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक,पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा।
5- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

इन्द्रजीत सिंह
विशेष सचिव।